संयुक्त देयता समूह

NABARD
COMMITTED TO RURAL PROSPERITY

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

संयुक्त देयता समूह का गठन व वित्तपोषण

हालाकि भारत की अर्थव्व्यवस्था कृषिप्रधान है, फिर भी किसानों विशेषकर, छोटे, सीमांत, काश्तकार, मौखिक पटटेदार किसानों और बटाईदारों की आजीविका पर कम ध्यान दिया गया है और यह सामाजिक एवं राजनीतिक स्तर पर झलकता भी है ...
समय आ गया है कि इस पहलू पर ध्यान दिया जाए और उनके जीवन में भी परिवर्तन की बयार आए
संयुक्त देयता समूह इसका एक सशक्त माध्यम है

Financing Agriculture through JLGs - Mission 2010

संयुक्त देयता समूह क्यों

गत चार वर्षों के दौरान समग्र स्तर पर कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह के बढ़ने के बावजूद विभिन्न अवसरों पर गंभीर चिंता व्यक्त की गयी है कि बैंकिंग क्षेत्र में कृषि ऋण खातों की संख्या को गति प्राप्त नहीं हो पाई है अपितु वस्तुतः इसमें ठहराव आ गया है और कई राज्यों में इसमें कई बार गिरावट आयी है. प्रति ऋण खातों में औसत ऋण की मात्रा में वृद्धि के लक्षण प्रत्यक्षतः यह दर्शाते हैं कि छोटे, मझौले और काश्तकारों की ऋणों तक पर्याप्त पहुँच नहीं है जोकि देश के किसानों का 82 प्रतिशत हिस्सा है. अधिसंख्य छोटे मूल्य वाले खातों में लेनदेन के कारण बढ़ती हुई लागत को नियंत्रित करने की दृष्टि से उनको समूह आधारित वित्तपोषण एक उचित विकल्प है।

1. संयुक्त देयता समूह योजना का उदेश्य

- किसानों को खासतौर से लघु, सीमांत, काश्तकार, मौखिक पट्टेदार, बटाईदार/ कृषि से संबंधित कार्य करने वाले व्यक्तियों को ऋण प्रवाह बढ़ाना.
- लक्ष्य समूहों को प्रदान किये जाने वाले ऋणों के लिये संपार्श्विक (कोलेटरल) के विकल्प के रूप में सेवा देना.
- बैंक और लक्ष्य समूह के बीच परस्पर विश्वास और आत्मविश्वास कायम रखना.
- समूह दृष्टिकोण, क्लस्टर दृष्टिकोण, समकक्ष शिक्षा और ऋण विषय क्षेत्र के माध्यम से बैंकों के लिये ऋण पोर्टफोलियो में जोखिमों को न्यूनतम बनाना.
- संयुक्त देयता समूह प्रणाली के माध्यम से बढ़े हुये कृषि उत्पादन, उत्पादकता तथा जीवन स्तर द्वारा अतिसंवेदनशील वर्गों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना.

2. संयुक्त देयता समूह की सामान्य विशेषताएँ

संयुक्त देयता समूह ऐसा अनौपचारिक समूह है, जिसमें अधिमानतः 4 से 10 व्यक्ति होते हैं, ये आपसी गारंटी के समक्ष अकेले या समूह व्यवस्था के माध्यम से बैंक ऋण लेने के प्रयोजन से समूह गठित करते हैं. सामान्यतः किसी संयुक्त देयता समूह के सदस्य कृषि और सहयोगी कार्यकलापों में से एक ही प्रकार का आर्थिक कार्यकलाप करते हैं. संयुक्त देयता समूह के सदस्य बैंक को संयुक्त वचन देते हैं जिससे वे ऋण प्राप्त करते हैं. स्वयं सहायता समूह सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे व्यावसायिक और सामाजिक कार्यकलाप करने में एक दूसरे को सहायता प्रदान करेंगे.

3. सदस्यता हेतु मानदण्ड

i). सदस्यों को एक जैसी सामाजिक आर्थिक हैसियत और कृषि कार्यकलाप करने वाली पृष्ठभूमि का होना चाहिए और उन्हें संयुक्त देयता समूह के रूप में कार्य करने के लिए सहमत होना चाहिए.

ii) समूह का गठन वैचारिक समानता वाले किसानों द्वारा किया जाएगा और इस प्रकार समूह समरूप होगा. इससे परस्पर विश्वास तथा सम्मान विकसित होगा.

iii) सदस्यों को एक गाँव/ एक क्षेत्र/ पड़ौस का निवासी होना चाहिए तथा समूह के लिए संयुक्त देयता/ व्यक्तिगत ऋण लेने के लिए एक दूसरे से भली भाँति परिचित होना चाहिए और उन्हें आपस में विश्वास करना चाहिए.

iv) ऐसे सदस्यों को समूह की सदस्यता नहीं दी जानी चाहिए जो पहले किसी अन्य औपचारिक वित्तीय संस्था का चूककर्ता रहा हो.

v) एक परिवार से एक से अधिक व्यक्ति संयुक्त देयता समूह में शामिल न किये जायें.

4. समूह दृष्टिकोण

i. नेतृत्व भूमिका सुनिश्चित करने और संयुक्त देयता समूह के कार्य करने के लिए समूह में एक अत्यंत सक्रिय सदस्य होना चाहिए. संयुक्त देयता समूह के लिए एक अच्छे/ योग्य/ सक्रिय नेता का चयन अत्यंत जरूरी है जिससे अंततः संयुक्त देयता समूह के सभी सदस्य लाभान्वित होंगे. समूह प्रमख एकता की भावना बनाये रखने और निरीक्षण करने अनुशासन बनाये रखने, जानकारी देने के लिये प्रोत्साहन का कार्य करता है और चुकौती में सहायता करता है. बैंकों के लिये वह समूह कार्यकलापों के लिये केन्द्र बिन्दु होता है.

ii. संयुक्त देयता समूह नियमित रूप से बैठकों का आयोजन करें और परस्पर हित के मुददे पर विचार-विमर्श करने के लिये नियमित रूप से सभी सदस्य उन बैठकों में भाग लें.

iii. स्वयं सहायता और समूह शक्ति के सिद्धांतों पर बल दिया जाये. समूह की सम्बद्धता को सुनिश्चित किया जाये.समूह/ सदस्यों की भूमिकाओं, अपेक्षाओं, कार्यों पर और समूह की गतिशीलता के लाभों पर पर्याप्त बल दिया जाये.

iv. संयुक्त देयता समूह प्रौद्योगिकी अंतरण के वाहक के रूप में बाजार सूचना तक आम पहुँच बनाने में सहायता करने तथा मृदा परीक्षण, प्रशिक्षण और निविष्टियों की जरूरतों का आकलन करने जैसे कार्यों में सहायता कर सकते हैं.

v. विशिष्ट कार्यकलापों अर्थात् दालों/ शाक-सब्जियों/ फलों के उत्पादन के लिये उत्पादों के विकास हेतु ग्राम/ ब्लॉक स्तर पर संयुक्त देयता समूहों के संघ बनाये जायें.

vi. सम्पूर्ण मूल्य श्रंखला में अंशदान करने और उसके द्वारा उत्पादों की उगाही, प्रसंस्करण और विपणन में बड़े पैमाने पर किफायत बरतने की दृष्टि से संयुक्त देयता समूह क्लस्टरों में स्वयं के स्थिर होने पर क्लस्टर संघ अथवा उत्पादक कम्पनियों के रूप में मिलकर एक साथ आयें.

vii. संयुक्त देयता समूहों और संयुक्त देयता समूह संरचना तैयार करने के लिये सहानुभूति और आपसी समझ-बूझ विकसित करने तथा प्रभावशाली ऋण प्रणालियों के सृजन की अपेक्षा की जाती है ताकि संयुक्त देयता समूहों के सदस्यों के बीच आपस में चर्चा होती रहे और वे एक दूसरे पर निर्भर रहें.

5. संयुक्त देयता समूह कौन बना सकता है :

व्यापारिक सहयोगी (फैसिलिटेटर), गैर-सरकारी संगठन, कृषक क्लब, कृषक संघ, पंचायती राज संगठन, कृषि विकास केन्द्र, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेन्सियाँ, बैंकों की शाखायें, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ, अन्य सहकारी संस्थायें, सरकारी विभाग, अलग-अलग व्यक्ति, निविष्टियों के आपूर्तिकर्ता और दस्तावेज हामीदार (सहकारी बैंकों में), सूक्ष्म वित्त संस्थान/ सूक्ष्म वित्त संगठन इत्यादि.

6. बचत

संयुक्त देयता समूहों को नियमित रूप से बचत करने के लिये प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है. बैंक, संयुक्त देयता समूहों/ संयुक्त देयता समूहों के अलग-अलग सदस्यों में उनके द्वारा नियमित रूप से बचत करने और बचत की आदत को सुनिश्चित करने के लिये बचत खाते खोल सकते हैं. तथापि, समूहों को दिये जाने वाले ऋण का परिमाण उद्यम की ऋण की आवश्यकताओं से जुड़ा होना चाहिये न कि बचत के परिमाण से.

7. संयुक्त देयता समूहों के मॉडल :

बैंक संयुक्त देयता समूहों के नीचे दिये गये दो मॉडलों में से कोई एक मॉडल अपना कर वित्त प्रदान कर सकते हैं.

मॉडल 'क' - संयुक्त देयता समूह के अलग-अलग व्यक्तियों का वित्तपोषण

संयुक्त देयता समूह के प्रत्येक सदस्य को अलग-अलग किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किये जायें. वित्तपोषक बैंक उगाई जाने वाली फसल, उपलब्ध कृष्य भूमि/किये जाने वाले कार्यकलाप और व्यक्तियों की ऋण उपयोग की क्षमता के आधार पर ऋण आवश्यकता का निर्धारण कर सकते हैं. सभी सदस्य संयुक्त रूप से एक ऋण दस्तावेज निष्पादित करेंगे जिसमें वे समूह में शामिल सभी व्यक्तियों द्वारा लिये गये सभी ऋणों की चुकौती के लिये प्रत्येक को अलग-अलग और संयुक्त रूप से जिम्मेदार बनायेंगे.

परस्पर करार में सभी सदस्यों के बीच इस बात पर सहमति सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है कि प्रत्येक व्यक्ति के किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में सृजित देयता भी शामिल करने के बाद उसकी एकल सृजित ऋण देयता की राशि कितनी होगी.

यदि कोई सदस्य समूह छोड़ना चाहता है अथवा समूह में शामिल होना चाहता है तो बैंक शाखा के रिकार्ड पर रखने के लिये नया ऋण करार किया जाना आवश्यक है.

मॉडल 'ख' - समूह के रूप में संयुक्त देयता समूह का वित्तपोषण

संयुक्त देयता समूह, परिचालनात्मक रूप से एक उधारकर्ता इकाई के रूप में कार्य करता है. समूह एक ऋण के लिये पात्र होगा जिसमें संयुक्त रूप से उसके सभी सदस्यों की ऋण आवश्यकतायें शामिल हो सकती है. समूह का ऋण निर्धारण संयुक्त देयता समूह के प्रत्येक सदस्य के पास उपलब्ध कृष्य क्षेत्र/ किये जाने वाले कार्यकलाप के आधार पर होगा. सभी सदस्य संयुक्त रूप से एक प्रलेख निष्पादित करेंगे और वे ऋण देयता के लिये संयुक्त रूप से और अलग- अलग जिम्मेदार होंगे.

परस्पर करार में सभी सदस्यों के बीच इस बात पर सहमति सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिये सृजित की जाने वाली ऋण देयता की राशि कितनी होगी. समूह की संरचना में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर बैंक शाखा द्वारा उसका पंजीकृत कराये जाने के लिये नये प्रलेख तैयार करने होंगे.

8. ऋण मूल्यांकन

बैंक कम अथवा अधिक वित्तपोषण से बचने के लिये गहन ऋण मूल्यांकन करें. इस प्रयोजन के लिये उपयुक्त श्रेणीकरण प्रणाली पहले ही उपलब्ध है. संयुक्त देयता समूह का वित्तपोषण एक लचीला ऋण उत्पाद होना चाहिये जिसमें कृषि और सहयोगी कार्यकलापों के क्षेत्र में फसल उत्पादन, विपणन और निवेश ऋण अन्य उत्पादक प्रयोजनों सहित इसके सदस्यों की ऋण आवश्यकता पर विचार किया जाये.
बैंक द्वारा अपने नियमित मानदण्डों के अनुसार ब्याज दर, प्रतिभूति पर मार्जिन, प्रलेखीकरण, फसल बीमा योजना के अंतर्गत कवरेज और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा इत्यादि सहित वित्तपोषण के अन्य सभी मानदण्डों का अनुसरण किया जाये.

9. प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत सामान्य व्यवसाय

कार्यकलाप करने के लिए संयुक्त देयता समूहों को ऋण :

- संयुक्त देयता समूहों को ऋण देना प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों के रूप में माना जाए.
- बैंक संयुक्त देयता समूहों को ऋण देना अपने कार्पोरेट प्लान में शामिल करें और अधिकारियों/ स्टाफ के

प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी शामिल करें.

10. अनुप्रवर्तन और समीक्षा :

i) संयुक्त देयता समूह ऋण के उपयोग और समय पर चुकौती को परस्पर दबाव से सुनिश्चित करते हैं. किसी प्रकार की चूक के मामले में बैंक सभी सदस्यों को उत्तरदायी बनाएँ.

ii) बैंक के ऋण अधिकारियों से आशा की जाती है कि वे संयुक्त देयता समूह के प्रमुखों तथा अन्य सदस्यों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनायें और निरन्तर निकट संपर्क और संबध बनायें रखें ताकि उन्हें बैंक के अच्छे और विश्वसनीय ग्राहक के रूप में परिवर्तित किया जा सके. मूल्यांकन और अनुप्रवर्तन की प्रगाढ़ता के संबंध में संयुक्त देयता समूहों के अच्छे ऋण संबंधों के रखरखाव से बैंक के अपने लेनदेनों की लागत में कमी आयेगी.

iii) बैंक उपयुक्त प्रबंध सूचना प्रणाली तैयार करें और विभिन्न स्तरों पर और नियमित अंतरालों पर इस कार्यक्रम का नियमित रूप से गहन अनुप्रवर्तन करें. भारतीय रिज़र्व बैंक और नाबार्ड को प्रगति रिपोर्ट निर्धारित फार्मेट में छमाही आधार पर प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर और 31 मार्च की स्थिति के अनुसार प्रेषित की जाए जिससे रिपोर्ट से संबंधित छमाही के 20 दिनों के अंदर यह प्राप्त हो सके.

11. संयुक्त देयता समूहों के गठन के लिये प्रोत्साहन :

संयुक्त देयता समूहों के गठन के लिये बैंक नाबार्ड से अनुदान सहायता लेने के लिये पात्र हैं. बैंकों को यह अनुदान सहायता संयुक्त देयता समूहों के गठन, उनके पोषण और वित्तपोषण के लिये दी जायेगी. प्रत्येक संयुक्त देयता समूह के लिये रु.2000/- के हिसाब से यह राशि 3 वर्षों की अवधि तक दी जायेगी.

संयुक्त देयता समूह गठित करने वाले अन्य संस्थान 3 वर्ष की अवधि तक प्रत्येक समूह के लिये रु.2000/- के हिसाब से अनुदान सहायता के लिये पात्र होंगे.

बैंक/ अन्य संस्थानों को रु.1000/- की पहली किस्त बैंक द्वारा ऋण मंजूर करने के बाद जारी की जायेगी. दूसरी और तीसरी किस्तें तब जारी की जायेंगी जब बैंक इस बात को प्रमाणित कर देगा कि समूह के सभी सदस्यों द्वारा समय पर चुकौती कर दी गई है.

12. क्षमता निर्माण :

बैंक अपने स्टेकहोल्डर्स के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन और अपने स्वयं के स्टाफ तथा लक्ष्य समूह दोनों के लिये संयुक्त देयता समूह संकल्पना पर जानकारी परक तथा उन्मुखीकरण कार्यक्रमों का आयोजन जैसे क्षमता निर्माण उपाय अपना सकते हैं. बैंक में कार्यरत स्टाफ को संयुक्त देयता समूहों की

संकल्पना और कार्यक्रम के अंतर्गत बैंकों और ग्राहकों के लिये लाभों की जानकारी होनी चाहिये. नाबार्ड, बैंकों के स्टाफ सदस्यों के लिये क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और अधिक जागरूकता तथा परिचयोन्मुखता के लिये प्रचार पुस्तिकाओं/इश्तहारों, मीडिया के प्रयोग (मुद्रण और अन्य) इत्यादि जैसे अन्य प्रचार उपायों पर विचार कर सकता है.

13. नाबार्ड पुनर्वित्त

नाबार्ड, बैंकों को उनके द्वारा संयुक्त देयता समूहों को किये गये ऋणीकरण के लिये 100% पुनर्वित्त सहायता प्रदान करेगा.